



2026:AHC:39492

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 2604/2026

भानु प्रकाश उपाध्याय

.... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आर्या गौतम, अतिप्रिय गौतम,

जय विश्वनाथ पाण्डेय वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री विजय गौतम, जिनका सहायता सुश्री वैष्णवी श्रीवास्तव ने किया, जो सुश्री अतिप्रिया गौतम के पक्ष में पेश हुई, तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. श्री गौरव सिंह ने न्यायाधीश पीठ के समक्ष यह कथन दिया है कि वह कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।

3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश पुलिस में उप-निरीक्षक के रूप में हुई थी। तथापि, याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 30.07.2021 का एक आरोप पत्र, जिसमें कुछ आरोप थे, रिट याचिकाकर्ता को दिया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने आरोपों को अस्वीकार कर दिया और एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसने जांच संचालित की और दिनांक 04.09.2023 को अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आरोपों को सिद्ध माना, जबकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 4(1क)(ii) के परिप्रेक्ष्य में सेवा से हटाने के दंड की अनुशंसा की। एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका रिट याचिकाकर्ता ने जवाब दिया और तत्पश्चात, दिनांक 28.10.2023 को, अनुशासनिक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने एक अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 06.08.2024 को खारिज कर दिया।

5. दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए, वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि विवादित आदेश इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि दंड का प्रस्ताव

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करना जांच अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं था और वह भी यह निर्दिष्ट करना कि यह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात प्रभावी किया जाएगा। निवेदन यह है कि यह कार्य अनुशासनिक प्राधिकारी को सौंपा गया है, जिसे नियमों के अनुसार, आरोपों की गंभीरता, चाहे वे लघु हों या गंभीर, को देखने के पश्चात दंड आदेश पारित करना है। यह भी प्रतिवाद किया गया है कि जांच अधिकारी को सौंपा गया एकमात्र कार्य आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच संचालित करना और यह निष्कर्ष दर्ज करना था कि वे सिद्ध होते हैं या नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **उत्तरांचल राज्य बनाम खड़क सिंह (2008) 8 एस.सी.सी. 426** तथा इस न्यायालय की सम-न्यायपीठ द्वारा **रिट-ए संख्या 19952 / 2019, मोहम्मद मियाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में पारित आदेश, जिसका निर्णय दिनांक 21.08.2025 को हुआ, पर भरोसा दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश को रद्द किया जाए और मामले को प्राधिकारी को विधि के अनुसार नई सुनवाई करने हेतु वापस भेजा जाए।

7. दूसरी ओर, राज्य सरकार के विद्वान अधिशासी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह प्रस्तुत करते हैं कि जांच कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की गई है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं है। वह प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता को जांच कार्यवाही में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान किया गया था और जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध पाते हुए, अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, तथापि, वह प्रस्तुत करते हैं कि दंड का प्रस्ताव करना जांच अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. मैंने न्यायाधीश पीठ के समक्ष इस प्रकार किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुना है तथा अभिलेख को ध्यानपूर्वक देखा है।

9. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता को एक आरोप पत्र जारी किया गया, जिसके पश्चात एक नियमित जांच संचालित की गई और दिनांक 04.09.2023 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो इस प्रकार है:-

"इस प्रकार उ०नि०ना०पु० भानु प्रकाश उपाध्याय पीएनओ-012410402 द्वारा उ०नि० जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहते हुये शराब का सेवन कर अपने अधीनस्थ नियुक्त आरक्षी से एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गाली-गलौज एवं अभद्रता करने पर राजकीय कर्तव्य के प्रति योग लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता की गयी है, जिस हेतु इन्हे दोषी पाया गया है।

अतः उ०नि० भानु प्रकाश उपाध्याय पीएनओ-012410402 को उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत नियम-4(1) (क) (दो) के तहत "सेवा से हटाना" किये जाने की संस्तुति की जाती है।
निष्कर्ष-

सम्पादित विभागीय कार्यवाही से उ०नि०ना०पु० भानु प्रकाश उपाध्याय पीएनओ-012410402 को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहते हुये शराब का सेवन कर अपने अधीनस्थ नियुक्त आरक्षी से एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गाली-गलौज एवं अभद्रता करने पर राजकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता किये जाने का दोषी पाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अतः उ०नि० भानु प्रकाश उपाध्याय पीएनओ-012410402 को उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत नियम-4(1) (क) (दो) के तहत "सेवा से हटाना" किये जाने की संस्तुति की जाती है।"

10. अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर, उससे सहमत होते हुए, दिनांक 28.10.2023 को रिट याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 06.08.2024 को खारिज कर दी गई। वास्तविकता में, याचिकाकर्ता की सेवाएँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के उपबंधों द्वारा शासित होती हैं। नियम 14 निम्नानुसार है:

"14(1) विभागीय कार्यवाही संचालित करने की प्रक्रिया- (1) इन नियमों में निहित उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 5 की उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मामले में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जा सकती है।"

11. परिशिष्ट -1 पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित प्रक्रिया से संबंधित है, जो निम्नानुसार है:-

"परिशिष्ट-1

पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित प्रक्रिया

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जब एक औपचारिक जांच संस्थित की जाती है, तो जिस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जांच संस्थित की गई है, उसे उन आधारों के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा जिन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा। जिन आधारों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उन्हें एक निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में, जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में है, इस्तेमाल किया जाएगा, जो आरोपित पुलिस अधिकारी को संप्रेषित किए जाएंगे और जो इतने स्पष्ट और सटीक होंगे कि आरोपित पुलिस अधिकारी को उसके विरुद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों की पर्याप्त जानकारी दे सकें। उसे, एक उचित समय के भीतर, अपने बचाव का एक लिखित बयान देने और यह कहने की अपेक्षा की जाएगी कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने की इच्छा रखता है। यदि वह ऐसा चाहता है, या यदि जांच अधिकारी ऐसा निर्देश देता है, तो ऐसे आरोपों के संबंध में, जो स्वीकार नहीं किए गए हैं, एक मौखिक जांच आयोजित की जाएगी। उस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे, जिन्हें जांच अधिकारी आवश्यक समझता है। आरोपित पुलिस अधिकारी गवाहों को जिरह (प्रतिपरीक्षा) करने, व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने और ऐसे गवाह बुलाने का अधिकारी होगा, जैसा वह चाह सकता है: बशर्ते कि जांच अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे, किसी गवाह को बुलाने से इनकार कर सकता है। कार्यवाही में साक्ष्यों और निष्कर्षों तथा उनके आधारों का एक पर्याप्त अभिलेख होगा। जांच अधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक रूप से, आरोपित पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाले दंड के संबंध में अपनी स्वयं की अनुशंसा कर सकता है।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. जांच रिपोर्ट के गहन अवलोकन से पता चलेगा कि जांच अधिकारी ने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के उत्साह में, दंड का प्रस्ताव करते हुए, और वह भी 1991 नियमावली के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधानों, अर्थात् नियम 4(1)(क)(i) का संदर्भ देते हुए, अपने क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्टिक्शन) का अतिक्रमण कर लिया। निश्चित रूप से, जो कार्य जांच अधिकारी को सौंपा गया है, वह है जांच कार्यवाही संचालित करना, साथ ही यह निष्कर्ष दर्ज करना कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं, और यदि नियमों में विविध प्रकार के दंड उपलब्ध कराए गए हैं, तो दंड आदेश पारित करने का विवेकाधिकार एवं क्षेत्राधिकार अनुशासनिक प्राधिकारी का होता है। **उत्तरांचल राज्य बनाम खड़क सिंह (उपरोक्त)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है:-

"18. ... यद्यपि जांच अधिकारी द्वारा राय प्रस्तुत करने में कोई विशिष्ट निषेध नहीं है, किन्तु हाथ में लिए गए मामले में, जांच अधिकारी ने यह कहकर अपनी सीमा का अतिक्रमण कर लिया कि अधिकारी को सरकारी सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाना है।"

13. इसके अतिरिक्त, **मोहम्मद मियाँ (उपरोक्त)** में, इस न्यायालय की एक समन्यायपीठ ने निम्नानुसार देखा है:-

"14. यह विधि का एक सुपरिचित सिद्धांत है कि जब कोई कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने का उपबंध करता है, तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए (**कृष्णा राय बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं अन्य (2022) 8 एस.सी.सी. 713**)। 15.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उपरोक्त दृष्टिकोण में, जांच अधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्तावित दंड की अनुशंसा के साथ-साथ 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत पर वेतन से इनकार करने की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट भी रद्द किए जाने योग्य है और साथ ही याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का परिणामी आदेश और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा पुनरीक्षण पर बैठे प्राधिकारी का आदेश भी रद्द किए जाने योग्य है।"

14. चूँकि यह विसंगति मामले की मूल स्वरूप को प्रभावित करती है, जो संपूर्ण कार्यवाही को दूषित कर देती है, इसलिए, न्यायालय की राय में, जांच अधिकारी के लिए उस संबंध में दंड का प्रस्ताव करना उचित या औचित्यपूर्ण नहीं है।

15. अतः रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। दिनांक 28.10.2023 तथा दिनांक 06.08.2024 के आदेश इसी के द्वारा रद्द किए जाते हैं।

16. मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के दो सप्ताह के भीतर, पूर्व में जांच करने वाले अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करके मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए वापस भेजा जाता है। याचिकाकर्ता जांच में भाग लेगा। जांच याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए गए जवाब के चरण से शुरू होगी और जांच अधिकारी की नियुक्ति की तिथि से अधिकतम दो माह की अवधि के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अनुशासनिक प्राधिकारी, तत्पश्चात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में आगे की एक माह की अवधि के भीतर मामले में उचित निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। इस दौरान याचिकाकर्ता की स्थिति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वैसी ही बनी रहेगी जैसी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दंड आदेश पारित किए जाने के समय थी।

23 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”